## कार्यालय जिला पंचायत, खीरी।

पत्रांक 258 / ला0लि0 / जि0पं0 / 2020–21 दिनांक 04 दिसम्बर,2020

## नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद लखीमपुर–खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को विनियमित एवं नियन्त्रित किये जाने के उद्वेश्य से उपविधि तैयार की गयी है। जो दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी है, प्रकाशन की तिथि से जनपद में प्रभावी है। प्रकाष्ठ को लेकर आने जाने वाले वाहनों पर निर्धारित शुल्क वूसली का ठेका / नीलाम वर्ष 2020–21 दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु **दिनांक 24.12.2020, 28.12.2020, व 31.12.2020** को दिन के 2 बजे कार्यालय जिला पंचायत खीरी मे किया जायेगा। निर्धारित तिथियों को नीलाम सम्पन्न न हो पाने की दशा में महीने के प्रत्येक बुधवार को नीलाम किया जायेगा। नीलाम किये जाने वाले स्थान एवं शर्तें निम्नलिखित है–

**विकास खण्ड–1.नकहा**–जगसढ,पटिहरा,बाजूडीहा,पनगीखुर्द,अमृतागंज **2.लखीमपुर**–भंसरियारेलवे क्रसिंग ,लालपुरबैरियर,गूमचीनी,लीलाकुआं,पिपरियाबाईपास,राजापुरचौराहा,मीरपुर **3.मितौली**–फत्तेपुर,मितौली,कस्ता, वीरमपुर,पिपरझला,सेनपुर,भीखमपुर **4.फूलबेहड़**–फूलबेहड़,अन्देशनगर,खम्भारखेड़ा,नकहा पिपरी, शारदानगर, **5.ईसानगर**–ईसानगर,खमरिया,बसड़ियाचौराहा **6.बिजुआ**–दाउदपुर,मालपुर,पडरियातुला,मूड़ासवारान,बस्तौली चौराहा,बिजुआ **7.निघासन**–बेलरायां,मोतीपुर,निघासन,झण्डी **8.पलिया**–सम्पूर्णनगर,मझगई,भीरा **9.कुम्भी**–महेशपुर,चौराहा,ममरीचौराहा,लाल्हापुर,साजिदनगर,दतेली,सिकन्द्राबाद **10.बांकेगंज** भरिगवांचौराहा,सुआबोझ, अलीगंज,कुकरा,मैलानी,संसारपुर **11.बेहजम**–बेहजम चौराहा,शिवाला तिराहा, नींमगांव,मरखापुर,भदूरा, बरतेर चौराहा**12.धौंरहरा**–अदलीसपुर,जुगनूपुर,रामबट्टी,लाल्हापुर,भौवापुरकला,चकमूसेपुर,नौरंगपुर,बसन्तापुर,टेंगनहा **13.रमियाबेहड़**–ढखेरवाचौराहा,कफारा,अभयपुर **14.पसगवां**–मैगलगंज,जे0बी0गंज,उचौलिया,मोहम्मदपुर ताजपुर,औरंगाबाद,बरबर **15.मोहम्मदी**–बरौरी,सहदेवा रेहरिया,गुलौली,बरबर रोड भगरेना, पुवांया,मछेछा।

## नीलाम शर्ते

1.नीलामी में प्रतिभाग करते समय कोविड–19 हेतु सरकार द्वारा जारी समस्त गाइड लाइन / निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जायेगा, नीलामी में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, हैण्ड सेनेटाइजर की प्रक्रिया के उपरान्त ही नीलामी स्थल में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी 2–जिला पंचायत के बकायेदारों के नाम ठेका / लाइसेंस स्वीकृत नही किया जायेगा 3–नीलाम में बोली बोलने के पूर्व प्रत्येक बोली दाता को न्यूनतम जमानत धनराशिरू0 5,000 / – जमा करना अनिवार्य होगा 4–नीलाम समाप्त होने के बाद अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। 5–ठेका स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ठेकेदार को अपने व्यय से निर्धारित मूल्य के जनरल स्टाम्प पेपर पर जिला पंचायत की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध कराना होगा 6–उपविधियों / शर्तों / शासनादेशों का उल्लंघन करने पर उसका ठेका / लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, तथा जमा धन जब्त कर पुनः नीलाम की कार्यवाही की जा सकती है 7– जिला पंचायत के अधिकारियों, उनके द्वारा नामित कर्मचारियों को समय–समय पर जांच करने का अधिकार होगा 8–प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से पूर्व जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैशियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा 9–ठेका स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, खीरी में निहित होगा। 10–नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला पंचायत, खीरी से किसी भी कार्य दिवस में की जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, खीरी।